संं०-12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र०।
4- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०।

कृषि विपणन अनुभाग-2, दिनांक: 14 दिसम्बर, 2022

विषय: उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication) पंजीयन कराने एवं ऐसे भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों के उत्पादकों/निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन कराते हुए जी०आई० टैग के साथ विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु विस्तृत मार्ग-निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (जी०आई०) को औद्योगिक सम्पदा के उस पक्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी देश या स्थान पर अवस्थित भौगोलिक उपदर्शन को उस देश या उद्गम स्थल के एक उत्पाद के रूप में इंगित करता है। विशेषकर, वैसा एक नाम जो गुणवत्ता और विशिष्टता का वह आश्वासन देता है जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश में उसका उद्गम होने के तथ्य के कारण उसे अवश्य प्राप्त होता है। जी०आई० टैग उत्पाद के अनाधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाकर कानूनी संरक्षण देकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात को बढ़ावा देता है।

2. भारत में अब तक कुल पंजीकृत 420 जी0आई0 उत्पादों में से 128 कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के मात्र 06 कृषि उत्पाद हैं तथा प्रदेश से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के 15 नये उत्पादों के आवेदन किये गये हैं(अनुलग्नक-1)। प्रदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक-जैव-विविधता के दृष्टिगत अभी भी प्रदेश में इस क्षेत्र में असीम सम्भावनायें विद्यमान हैं। विगत में भौगोलिक उपदर्शन कार्यशालाओं/चर्चा बैठकों में यह तथ्य सुस्थापित हुआ है कि जहां एक ओर उत्तर प्रदेश जैसे वृहद प्रदेश में कृषि क्षेत्र के भौगोलिक उपदर्शन में अत्यन्त कम उत्पाद सम्मिलित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अधिकृत उपयोगकर्ताओं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या नगण्य है, जिसके कारण जी०आई० उत्पादकों को प्रीमियम मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत एवं विशिष्टता को भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन के द्वारा संरक्षित करने एवं भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु उनके अधिकृत उपयोगकर्ता का पंजीयन अपरिहार्य है।

3. अतः प्रदेश में जी०आई० उत्पादों द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के अधिकाधिक उपयुक्त उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन कराने तथा उनके अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने के साथ ही उसकी उचित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के दृष्टिगत निम्नवत मार्ग-निर्देश प्रदान किये जा रहे है:-

3.1 जी०आई० के प्रोत्साहन कार्यो हेतु नोडल एजेन्सी:-

प्रदेश में कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (जी0आई0) के सम्बंध में कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र०शासन नोडल विभाग तथा कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 नोडल एजेन्सी होगा। नोडल एजेन्सी के निम्न दायित्व होगें :-

(1) जी०आई० हेतु उपयुक्त कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के उत्पादों की सूची का संकलन एवं जी0आई0 आवेदकों एवं जी0आई0 प्राप्त उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता की कठिनाईयों का आवश्यकतानुसार शासन से निराकरण कराना।

(2) प्रदेश के कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के उत्पादों का देश एवं विदेश में प्रचार- प्रसार।

(3) जी0आई0 के हितधारकों का क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण।

(4) प्रदेश के कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के जी०आई० उत्पादों को प्रीमियम मूल्य दिलाने हेतु उचित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना।

नोडल एजेन्सी के उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० मण्डी निधि से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा तथा शासन से भी शासकीय बजट में इस हेतु व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3.2 जी०आई० के प्रोत्साहन कार्यो हेतु संस्थागत तंत्र:-

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "क्लस्टर सुविधा इकाई" ही जी०आई० प्रोत्साहन कार्यो के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगी। जिसमें जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस हेतु कम से कम एक जी०आई० विशेषज्ञ और जनपद स्तरीय मण्डी समिति के सचिव को अतिरिक्त सदस्य नामित किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.3 जनपदीय समिति जी०आई० कार्यो की न्यूनतम त्रैमासिक आधार पर कार्यो की प्रगति समीक्षा करेगी।

3.4 जनपद स्तरीय समिति जनपद के कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के जी०आई० पंजीकृत उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने की समीक्षा करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी पात्र उत्पादक उपयोगकर्ता को पंजीकरण में कोई बाधा न आए।

4. जी०आई० आवेदन की प्रक्रिया:-

4.1 जी०आई० उत्पाद का चयन:-

जी० आई० पंजीकरण हेतु योग्य उत्पादों का चयन कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के सम्बद्ध जनपदीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो उत्पाद की निम्न आवश्यक प्राथमिक जानकारी एकत्र करेंगें।

(1) उत्पाद का नाम।

(2) उत्पाद की विशिष्टता।

(3) उत्पाद का आच्छादित भौगोलिक क्षेत्रफल।

(4) उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादकों/एफ0पी0ओ0 की संख्या एवं विवरण।

(5) उत्पाद का उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण।

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्राप्त सूचना को संकलित करायेंगें तथा नोडल एजेन्सी को भी प्रेषित करेंगें।

4.2 जी0आई0 उत्पाद के भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण:-

जी0आई0 उत्पाद के चिन्हींकरण के पश्चात पंजीकरण हेतु भौगोलिक क्षेत्र का भी निर्धारण युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा | भौगोलिक क्षेत्रफल का निर्धारण ऐसा होना चाहिए जिससे उस उत्पाद का उत्पादन/प्रसंस्करण पूर्व से जहाँ-जहाँ चला आ रहा हो, वह क्षेत्र समाहित हो | क्षेत्रफल में यथासम्भव निरंतरता रहे | भौगोलिक क्षेत्र जनपद के अन्दर एक विशिष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है अथवा कई जनपद भी समाहित हो सकते हैं | यह सम्भव है कि यद्यपि जी०आई० हेतु प्रस्तावित उत्पाद का विशिष्ठ नाम किसी नगर/क्षेत्र विशेष से पहचाना जाता हो, परन्तु उसको उत्पादित करने वाले क्षेत्रफल का विस्तार अधिक हो |

भौगोलिक क्षेत्रफल निर्धारण के समय यह ध्यान रखना होगा कि उस विशिष्ठ उत्पाद के (exclusiveness) में उत्पादक आच्छादित हो सके और साथ ही साथ उत्पाद की विशिष्ठता में कमी (dilution) न हो जाए |

एक से अधिक जनपदों में जी०आई० उत्पाद का भौगोलिक क्षेत्रफल होने की स्थिति में आवेदन उस जनपद में होगा जहाँ के सर्वाधिक उत्पादन या क्षेत्रफल है या उस उत्पाद का नाम जनपद के किसी स्थान से जुड़ा हुआ हो और आवश्यक होने पर इस सम्बन्ध में नोडल एजेंसी से परामर्श/मार्ग निर्देश प्राप्त किया जाएगा |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4.3 जी०आई० उत्पादन के आवेदक/प्रोपराइटर:-

जी०आई० हेतु प्रोपराइटरी के रूप में आत्मा सोसाइटी (Agricultural Technology Management Agency)/कृषक सहकारी समिति/ एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/कृषक समूहों/ उत्पादक समूहों को पंजीयन कराने की वरीयता दी जायेगी। जनपदीय समिति द्वारा आत्मा सोसाइटी (Agricultural Technology Management Agency)/ कृषक सहकारी समिति/ एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0/ कृषक समूहों/उत्पादक समूहों को उत्पाद विशेष के जी०आई० पंजीयन में प्रोपराइटरी के रूप में पंजीकृत कराने से पूर्व उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र/एम0ओ0यू0 प्राप्त किया जायेगा जिसमें इस बात का स्पष्ट प्राविधान होगा कि कृषि क्षेत्र के उत्पाद विशेष के पंजीकृत जी0आई0 उत्पाद के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने हेतु जनपदीय अधिकारी द्वारा सत्यापित विवरण अनुसार प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन पर नियमानुसार तत्परता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

4.4 फैसिलिटेटर:- जनपदीय समिति में कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के उत्पादों से सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठतम जनपदीय अधिकारी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा तथा जी0आई आवेदन एवं अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने हेतु तकनीकी फैसिलिटेटर से समन्वय करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायेगा। फैसिलिटेटर द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जी0आई0 उत्पाद के क्षेत्रफल का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करायेगा जिससे किसी विशिष्ट उत्पादक समूह का एकाधिकार न हो तथा अनावश्यक क्षेत्र विस्तार भी नहीं करेगा जिससे उत्पाद के क्षेत्र विशेष की गुणवत्ता प्रभावित हो।

4.5 तकनीकी फैसिलिटेटर:- जनपद स्तरीय समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ का चयन विश्वविद्यालयों/ कृषि विज्ञान केन्द्रों/ राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों/जी0आई0 हेतु विशेषज्ञ एन0जी0ओ/पंजीकृत समिति/कम्पनी इत्यादि से जी0आई0 पंजीयन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया में अनुभव प्राप्त व्यक्ति नामित किये जा सकेगें जो जी0आई आवेदन हेतु तकनीकी फैसिलिटेटर के रूप में अपनी सशुल्क/निशुल्क सेवायें प्रदान करेगें।

4.6 जी0आई0 आवेदन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड एवं मण्डी परिषद द्वारा पूर्व से ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, आवश्यकतानुसार इस हेतु सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) फन्ड का भी उपयोग किया जा सकता है।

4.7 जी0आई0 हेतु उपयुक्त कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के विशिष्ट उत्पादों की संकलित सूची पर विषय विशेषज्ञ की सहायता से जी0आई0 हेतु उपयुक्त उत्पाद का चयन जनपदीय समिति द्वारा करते हुए जी0आई0 पंजीयन हेतु आवेदन सम्बंधी समस्त औपचारिकताओं यथा पंजीयन, समस्त आवश्यक प्रक्रिया, अपील इत्यादि की पूर्ति तकनीकी फैसिलिटेटर संस्था से एम0ओ0यू0 करते हुए की जायेगी । इस हेतु आवश्यक वित्त की व्यवस्था उपर्युक्त प्रस्तर 4.6 के अनुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जी0आई पंजीकृत उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने की प्रक्रिया:-

5.1 जनपद के कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के पंजीकृत जी0आई0 उत्पादों के उत्पादकों/ निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन कराने हेतु कृषि उत्पाद से सम्बन्धित विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समिति की देखरेख में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

(1) जी0आई0 'फार्म-3 ए' पर आवेदन कराया जायेगा।

(2) एक आवेदन पर अधिकतम 20 अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदकों के आवेदन एक साथ किये जा सकते हैं।

(3) आवेदन को कृषि उत्पाद से सम्बन्धित विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा अपने अग्रसारण पत्र सहित जी0आई0 प्रोपराइटरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(4) अधिकृत उपयोगकर्ता हेतु जियोग्राफिकल इंडीकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई को निम्न प्रपत्रों के साथ आवेदन कृषि उत्पाद से सम्बन्धित विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा अपने अग्रसारण पत्र सहित प्रेषित करते हुए जनपदीय समिति के अध्यक्ष को सूचित किया जायेगा:-

(क) जी०आई० 'फार्म-3ए' (पूर्ण प्रविष्टियों एवं हस्ताक्षर सहित)।

(ख) जी०आई० प्रोपराइटरी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (समस्त 20 आवेदकों हेतु एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्याप्त है)।

(ग) जी०आई० उत्पाद से सम्बन्धित 'स्टेटमेन्ट ऑफ केस' (समस्त 20 आवेदकों हेतु एक 'स्टेटमेन्ट ऑफ केस' पर्याप्त है)।

(घ) अधिकृत उपयोगकर्ता हेतु शुल्क प्रति आवेदक रु०-10/- (रूपया दस मात्र) की दर से देय है। शुल्क हेतु बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **"Registrar of Geographical Indication"** के नाम एवं चेन्नई में देय हो आवश्यक होगा (समस्त 20 आवेदकों हेतु एक बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट पर्याप्त होगा)।

(च) आवेदन भेजने का पता निम्नवत है:-

Assistant Registrar of Trade Marks & GI
Head Office
Geographical Indication Registry

Intellectual Property Office Building,
G.S.T. Road, Guindy, Chennai-600032
Phone- 044-22502092; Fax: 044-22502090
Email: gir-ipo[at]nic[dot]in, Website: ipindia.gov.in

5.2 अधिकृत उपयोगकर्ता स्वयं भी जी०आई० प्रोपराइटरी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.3 कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के पंजीकृत जी0आई उत्पादों जिनमें फेसिलिटेटर पूर्व से अन्य संस्था नामित है, के मामले में अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने हेतु जी0आई0 प्रोपराइटरी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई सूचित होने पर नोडल एजेन्सी इस हेतु यथावश्यक शासन स्तर से भी निराकरण सुनिश्चित करायेगी।

6- प्रदेश के कृषि क्षेत्र के जी0आई0 उत्पादों का देश एवं विदेश में प्रचार-प्रसार:-

6.1 नोडल एजेन्सी देश एवं विदेश में प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों को आयोजित करेगी तथा इसके लिए वह सभी प्लेटफार्म और साधनों अर्थात प्रदर्शिनी, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफार्म आदि का उपयोग करेगी।

6.2 नोडल एजेन्सी प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में आमंत्रित विषय विशेषज्ञों को नियमानुसार मानदेय व अनुमन्य श्रेणी का यात्रा भत्ता भुगतान हेतु अधिकृत होगी।

6.3 जी०आई० उत्पादों की सचित्र जानकारी नोडल एजेन्सी की वेबसाइट के साथ-साथ जनपद की एन0आई0सी0, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मण्डी परिषद इत्यादि की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित की जायेगी।

6.4 जी०आई० उत्पादों को पर्यटन से जोड़ते हुए प्रचार-प्रसार के प्रयास किये जायेंगें।

6.5 प्रदेश के कृषि क्षेत्र के जी०आई० उत्पादों के आकर्षक गिफ्ट पैक तैयार कर देश-विदेश के अतिविशिष्ट अतिथियों को उपहार स्वरूप भेंट करने हेतु मा0 राज्यपाल, मा० मुख्यमंत्री, मा० विभागीय मंत्री, विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आदि को नोडल एजेन्सी के द्वारा उपलब्ध करायें जायेंगें।

6.6 देश-विदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट (बी0एस0एम0) में कृषि क्षेत्र के जी0आई0 उत्पादों के उत्पादकों को प्रतिभाग कराने हेतु सहायता सुलभ करायी जायेगी।

7 जी०आई० के हितधारकों का क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण:-

7.1 नोडल एजेन्सी के समस्त 18 मण्डलों के मण्डलीय अधिकारी एवं 75 जनपदों के जनपदीय निरीक्षकों सहित निदेशालय के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ख्याति प्राप्त संस्थानों/विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करते हुए प्रशिक्षित किया जायेगा, जो नोडल एजेन्सी के कार्यों का निष्पादन करेंगें।

7.2 मास्टर ट्रेनरों द्वारा कृषि क्षेत्र के सम्बद्ध विभागों के राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

7.3 नोडल एजेन्सी तथा सम्बद्ध विभागों के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा समन्वित रूप में जी0आई0 हितधारकों को क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7.4 क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का व्यय नोडल एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

8 नोडल एजेन्सी द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र के जी0आई0 उत्पादों से सम्बन्धित वैधानिक मामलों में विधिक/विषय विशेषज्ञों को आबद्ध करते हुए हितधारकों को विधिक सहायता प्रदान करने में सहयोग करेगी।

9 प्रदेश के कृषि क्षेत्र के जी०आई० उत्पादों को प्रीमियम मूल्य दिलाने हेतु उचित विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना:-

9.1 प्रदेश की मण्डियों में जी०आई० उत्पादों के विक्रय हेतु बोर्ड/बैनर सहित विशिष्ट स्थान/प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा, जिसको द्वारा पर्याप्त साइनेज द्वारा मार्क किया जायेगा जिससे उपभोक्ता सहज रूप में पहुंच सके।

9.2 प्रदेश की मण्डियों के प्रवेश द्वार पर जी0आई0 कृषि उत्पादों की बिक्री सुविधा की सूचना प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9.3 प्रदेश के 18 मण्डलों के मुख्यालय एवं सम्बद्ध जनपदों के प्रमुख स्थान यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल के साथ मुख्य मार्गो पर कीओस्क स्थापित करते हुए उत्पादकों को वैकल्पिक विक्रय स्थल उपलब्ध कराये जायेंगें।

9.4 नोडल एजेन्सी द्वारा आनलाइन बिक्री हेतु ई-कामर्स कम्पनियों एवं सुपर मार्केट से टाई-अप कराते हुए बिक्री के प्रयास किये जायेंगें।

9.5 नोडल एजेन्सी द्वारा क्रेता-विकेता समागम(बी0एस0एम0) आयोजित कराये जायेंगें।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

सं०-12/2022/120(1)/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ०प्र०।
4- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
5- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- कृषि निदेशक, उ०प्र०/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०/निदेशक, मत्स्य, उ०प्र०/ निदेशक, पशुपालन(प्रक्षेत्र एवं रोग नियंत्रण)/महाप्रबन्धक, पी०सी०डी०एफ०) ।

7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रक)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1|

9- गार्ड फाइल।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश स०-12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का अनुलग्नक-1

(क) उत्तर प्रदेश में जी०आई० पंजीकृत कृषि उत्पाद

क्रम सं०	जी०आई० आवेदन क्र०	कृषि उत्पाद	जनपद/ क्षेत्र	प्रोपराइटरशिप
1	50	**इलाहाबादी सुर्खा अमरुद**	प्रयागराज एवं कौशाम्बी जनपद।	इलाहाबादी सुर्खा अमरुद उत्पादक वेलफेयर संघ।
2	125	**मलिहाबादी दशहरी आम**	लखनऊ।	नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा।
3	205	**काला नमक चावल**	गोरखपुर, बस्ती, एवं देवीपाटन मण्डल के जनपद।	कालानमक सुगन्धित चावल उत्पादक एवं संरक्षण सोसाइटी, भीमापार, निकट रेलवे क्रासिंग, सिद्धार्थनगर, उ०प्र०(भारत)
4	145	**बासमती**	पश्चिमी उ0प्र0 के 30 जनपद।	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (APEDA)
5	206	**रतौल आम**	बागपत जनपद।	रतौल आम उत्पादक संगठन, बागपत, उ०प्र०।
6	401	**महोबा देसावरी पान**	जनपद महोबा।	चौरसिया समाज सेवा समिति, पान मंडी, महोबा, उ०प्र०।
	स्त्रोत- http://ipindia.gov.in/index.htm			

(ख) उत्तर प्रदेश में जी०आई० टैगिंग हेतु आवेदित कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद जिनका पंजीयन प्रक्रिया में है-

क्रम सं०	जी०आई० आवेदन क्र०	जिन्स का नाम/ उत्पाद	जनपद/ क्षेत्र	आवेदक सं०
1	716	बनारस लगड़ा आम	वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चन्दौली, गाजीपुर, बलिया जनपद।	1- मै0 जया सीड प्रोडयूसर कं0लि0। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
2	819	बुन्देलखण्ड कठिया गेहूँ	सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र।	कठिया गेहूं बंगरा प्रो0कं0लि0, झांसी।
3	668	प्रतापगढ़ ऑवला	प्रतापगढ, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर।	1- पुष्पांजली ग्राम उद्योग सेवा समिति, प्रतापगढ। 2- समाजिक संस्कृतिक कल्याण समिति, प्रतापगढ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	859	बनारस लाल पेड़ा	वाराणसी |	1- बनारस मिष्ठान विकास समिति। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
5	823	बनारस लाल भरवा मिर्च	आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया |	प्रगतिशील अराजीलाइन फार्मर प्रो0कं0लि0, वाराणसी।
6	778	उ0प्र0 का गौरजीत आम	बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर|	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान- आई0सी0ए0आर0, रहमानखेडा, लखनऊ।
7	833	चिरईगांव करौंदा आफ वाराणसी	चिरईगॉव, वाराणसी|	गंगावरूणा एग्रो फार्मर प्रो0कं0लि0, वाराणसी। फैसिलिटेटेड बाइ मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
8	779	उ0प्र0 चौसा आम	सहारनपुर मेरठ अमरोहा, बुलन्दशहर, फर्रूखाबाद, हरदोई प्रतापगढ़ |	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान- आई0सी0ए0आर0, रहमानखेडा, लखनऊ।
9	715	आदम चीनी चावल	चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया |	1- मै0 ईशानी एग्रो0 प्रोडयूसर कं0लि0। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
10	730	बनारसी पान (पत्ता)	वाराणसी, जौनपुर बलिया|	1- नमामि गंगे फार्मर प्रोडयूसर कं0लि0। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
11	1000	बनारस ठंडई (पेय)	वाराणसी |	महानगर उद्योग व्यापार समिति, वाराणसी |
12	999	जौनपुर इमरती (मिठाई)	जौनपुर |	जौनपुर इमरती मिष्ठान समिति, जौनपुर|
13	723	मुजफफरनगर गुड़	सहारनपुर, शामली, मुजफफरनगर, बिजनौर, बागपत मेरठ |	हरितजोन फार्मर प्रो0कं0लि0, मुजफफरनगर ।
14	941	बनारस तिरंगी बरफी	वाराणसी |	1- महानगर उद्योग व्यापार समिति, वाराणसी। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।
15	717	रामनगर भांटा	वाराणसी, मिर्जापुर, चन्दौली, सोनभद्र |	1- मै0 काशी विश्वनाथ फार्मर प्रोडयूसर कं0लि0 वाराणसी। 2- मानव कल्याण संगठन, वाराणसी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।